न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

वाद सं.– 91/2020

पुनाराम पुत्र खींयाराम जाति जाट निवासी कालेरां की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. ईशरराम पुत्र खींयाराम जाति जाट निवासी कालेरां की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू
2. सुरजाराम पुत्र खींयाराम जाति जाट निवासी कालेरां की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू
3. मुन्नीदेवी पत्नि कानाराम जाति जाट निवासी कालेरां की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू
4. हडमानाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी कालेरां की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू
5. मनोजकुमार पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी कालेरां की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू
6. हरीराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी कालेरां की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू
7. गीता पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी कालेरां की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू
8. भग्गी पुत्री थानाराम जाति जाट निवासी कालेरां की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू
9. छोटू पुत्री थानाराम जाति जाट निवासी कालेरां की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू
10. लक्ष्मणराम पुत्र हडमानाराम जाति जाट निवासी कोडासर बिदावतान तहसील सुजानगढ जिला चूरू
11. प्रेमाराम पुत्र हडमानाराम जाति जाट निवासी बाडा तहसील सुजानगढ जिला चूरू
12. पदमाराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी कालेरा की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू
13. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा बीदासर जिला चूरू
14. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सुजानगढ जिला चूरू
15. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू
16. श्रीमान उप पंजीयक बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन व चिर निषेधाज्ञा की डिग्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :– 1. श्री किशोर कुमार वर्मा एडवोकेट– वकील वादी
2. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट– वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 12
2. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांकः– 16-03-2022

प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि रोही ग्राम कालेरां की ढाणी में खातेदारी खेत खसरा संख्या 1992/938, 1990/150, 1991/899, 1977/150, 1978/899, 1979/938, 1980/939, 1993/150, 1994/899, 1995/938 तादादी कमशः 7.2843, 4.4769, 1.4543, 4.4769, 1.4543, 4.1987, 3.0857, 4.4642, 1.4543, 7.2717 हेक्टेयर भूमि वाके रोंही ग्राम कालेरा की ढाणी में स्थित है जो आगे दावा में वादगत भूमि के नाम से पुकारा जायेगी। जिसमें वादी का 1/5 अविभाजित हिस्सा है। वादी एंव

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 का खान पान लेन देन सब अलग अलग है तथा वादगत खेत खसरान् को भी मुताबिक हिस्सा पांति के काश्त करते आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 के आपसी तौर पर विभाजन मौखिक रूप से किया हुआ है। वादी अपने हिस्से पांति की भूमि को काश्त करता आ रहा है। वादगत खेतों की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से चली आ रही है। जिसके कारण वादी को कई प्रकार की कानुनी आपतियों का सामना करना पडता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 सींव को लेकर विवाद करते रहते है जिसके कारण वादी अपने हिस्से पांति व कब्जा काश्त के वादगत खेत में अपनी हिस्सा भूमि की खातेदारी का विधिवत आधार पर विभाजन करवाकर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अपने नाम पृथक दर्ज करवाकर लगान का विभाजन करवाना चाहता है जिसका वादी कानूनी अधिकारी है। वादगत खेत खसराजात तमाम में वादी मुताबिक हिस्सा के काबिज काश्त है। वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 से कई बार आपसी तोर पर वादगत खेतों की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवाने प्रत्येक खातेदार को अच्छी से अच्छी व हल्की से हल्की जमीन आनुपातिक विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वोह टालमटोल करते रहे। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 वादगत खेतों की सींव को काटकर समाप्त कर देते है। तथा कई बार ऐलानियां धमकियां देते है कि वादगत खेत में तुम्हारा जो हिस्सा है उस पर हम जबरन कब्जा करेंगें। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 ने वादी के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना लिया है। वादी शान्तिप्रिय कानून में विश्वास रखने वाला काश्त पेशा व्यक्ति है। वादी ने अन्तिम बार दिनांक 3.8.2020 को निवेदन किया कि वादगत खेतों की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवा देगें तथा मुझ वादी के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 ऐसा करने से साफ इनकार हो गये तथा वादी को ऐलानियां धमकी दी की हम वादगत भूमि में तुम्हारे हिस्सा पर जबरन कब्जा करेंगे तथा वादगत खेतों में पक्का निर्माण करके रहेंगे। वादगत खेत का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है जब तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक ईंच पर कब्जा काश्त माना जाता है। वादगत खेत का बिना विधिवत विभाजन कराये किसी भी सहखातेदार को वादगत खेत की खातेदारी शामिलाती होने के कारण भूमि पर मिलने वाले सरकारी फायदों को उठाने में परेशानीयों का सामना करना पडता है। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 पैसे वाले, राजनेतिक संरक्षण प्राप्त बलशाली व्यक्ति, भू माफिया लोगों से सांठगाठ रखने वाले व्यक्ति है जिनका बलपूर्वक मुकाबला करने मे वादी असमर्थ है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा डिक्री से प्रतिवादीगण को वर्जित करावें की जब तक वादगत खेतों का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेत के किसी भी हिस्से या अंश को विक्रय, बंधक, हस्तातंरण, बैया आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के हक हिस्सा की भूमि के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी देवें तथा ना वादी को उसके हक हिस्सा की भूमि से जबरन बेदखल करें। वादगत खेत खसरा संख्या 1992/938, 1990/150, 1991/899, 1977/150, 1978/899, 1979/938, 1980/939, 1993/150, 1994/899, 1995/938 तादादी क्रमशः 7.2843, 4.4769, 1.4543, 4.4769, 1.4543, 4.1987, 3.0857, 4.4642, 1.4543, 7.2717 हेक्टेयर भूमि वाके रोंही ग्राम कालेरा की ढाणी हिस्सा का संयुक्त खातेदारी एंव पृथक–पृथक हिस्सावारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को सतत वादाधार प्राप्त है। तथा प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 3.8.2020 को ऐलानियां धमकियां देने व साफ इनकार होने से वादी को वाद हैतुक प्राप्त है। राजस्व वाद वादी बहक प्रतिवादीगण के मध्य निजि सम्पति

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर

Scanned by CamScanner

एवं राज्य हित के विपरीत न होने एंव राज्य हित निहित न होने से प्रतिवादीगण संख्या 15 को सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। प्रतिवादी संख्या 15 लेण्ड होल्डर होने से राजस्व रेकार्ड कार्यवाही करने के अधिकारी होने से व कानूनी आपतियों को ध्यान में रखकर पक्षकार संयोजित किया गया है। वादी का वाद कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही कालेरा की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार श्रीमान जी के न्यायालय को हर प्रकार से प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भीतर प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 की ओर से मनोज गोदारा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 की ओर से दावा का जवाब दिया गया तथा साथ ही कोस सूट पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के कोस सूट को वादी वकील ने स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 13 ता 14 व 16 बावजुद तामिल उपस्थित नहीं। इस कारण प्रतिवादी संख्या 13 ता 14 व 16 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी द्वारा साक्ष्य वादी में कई अवसर दिये जाने के बावजुद भी साक्ष्य वादी पेश नहीं करने के कारण साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी में अपना शपथ पत्र पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। बहस सुनी गई। वकुलान ने वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य वादी में किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी में पेश शपथ–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने अपने कब्जा काश्त के आधार पर शपथ पत्र में वर्णित आसापासा अनुसार वाद को डिक्री करने का निवेदन किया है जिसका वादी वकील द्वारा किसी प्रकार का विरोध नहीं किया गया। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित आसापासा अनुसार वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वाद को इस प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम कालेरा की ढाणी के खसरा संख्या 1993/150 तादादी 4.4642 हेक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा संख्या 1990/150 तादादी 4.4769 हेक्टेयर में सें उतरी साईड की 1.6061 हेक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 1978/899 तादादी 1.4543 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण व खसरा संख्या 1991/899 तादादी 1.4543 हेक्टेयर में सें उतरी साईड की 0.4047 हेक्टेयर भूमि को प्रतिवादी सुरजाराम पुत्र खींयाराम जाति जाट निवासी कालेरा की ढाणी के नाम से तथा खसरा संख्या 1990/150 तादादी 4.4769 हेक्टेयर में सें दक्षिणी साईड की 2.8708 हेक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 1977/150 तादादी 4.4769 हेक्टेयर में सें पूर्वी साईड की 3.4525 हेक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 1991/899 तादादी 1.4543 हेक्टेयर में सें दक्षिणी साईड की 1.0496 हेक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 1994/899 तादादी 1.4543 हेक्टेयर में सें उतरी साईड की 0.5565 हेक्टेयर भूमि वादी पूनाराम पुत्र खींयाराम जाति जाट निवासी कालेरा की ढाणी के नाम से तथा खसरा संख्या 1977/150 तादादी 4.4769

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

हेक्टेयर में सें दक्षिणी पश्चिमी कुंट की 0.4047 हेक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 1994/899 तादादी 1.4543 हेक्टेयर में सें दक्षिणी साईड की 0.8978 हेक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 1995/938 तादादी 7.2717 हेक्टेयर में सें दक्षिणी साईड की 6.6267 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी मुन्नीदेवी पत्नि कानाराम, मनोजकुमार, हडमानाराम, हरिराम, गीता पिता कानाराम जाति जाट निवासी कालेरा की ढाणी के संयुक्त नाम से ब.हि.ब. तथा खसरा संख्या 1977/150 तादादी 4.4769 हेक्टेयर में सें उतरी पश्चिमी कुंट की 0.6197 हेक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 1979/938 तादादी 4.1987 हेक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा संख्या 1980/939 तादादी 3.0857 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण प्रतिवादी ईशरराम पुत्र खींयाराम जाति जाट निवासी कालेरा की ढाणी के नाम से तथा खसरा संख्या 1995/938 तादादी 7.2717 हेक्टेयर में सें उतरी साईड की 0.6450 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी भग्गी, छोटू पिता थानाराम जाति जाट निवासी कालेरा की ढाणी के नाम से ब.हि.ब. तथा खसरा संख्या 1992/938 तादादी 7.2843 हेक्टेयर में सें 0.2529 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी पदमाराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी कालेरा की ढाणी के नाम से व 2.3140 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी प्रेमाराम पुत्र हडमानाराम जाति जाट निवासी बाडा तहसील सुजानगढ के नाम से व 2.3140 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी लक्ष्मणराम पुत्र हडमानाराम जाति जाट निवासी कोडासर बिदावतान तहसील सुजानगढ के नाम से तथा शेष 2.4034 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी भग्गी, छोटू पिता थानाराम जाति जाट निवासी कालेरा की ढाणी के नाम से ब.हि.ब.दर्ज की जावे। उपरोक्तानुसार अलग–अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान का विभाजन किया जावे। जिस खातेदार की भूमि बैंक रहन है उसको नये खाते अनुसार रहन रखा जावे। उपरोक्तानुसार अलग–अलग खातेदारी दर्ज कर लगान का विभाजन करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 16/03/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner